



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर (जिला-अजमेर)

पीठासीन अधिकारी - श्री सुरेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 105/2018 (पुराना 154/2011)

राजस्थान सरकार जरिए अतिरिक्त तहसीलदार टॉडगढ़ जिला अजमेर। वर्तमान क्षेत्राधिकार तहसीलदार ब्यावर।

बनाम

- 1- श्री फतेहसिंह पुत्र श्री मेसूसिंह
- 2- श्री आनन्दसिंह पुत्र श्री मेसूसिंह
- 3- श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री मेसूसिंह
समस्त जाति रावत निवासी ग्राम रामपुरा दूदा तहसील ब्यावर जिला अजमेर
- 4- श्री बख्ताराम पुत्र श्री पन्ना
- 5- श्री शिवजी पुत्र श्री पन्ना
- 6- श्री बस्तीराम पुत्र श्री गणेश
- 7- श्री कैलाशचन्द पुत्र श्री गणेश
- 8- श्री किशोर पुत्र श्री गणेश
- 9- श्री मांगीलाल पुत्र श्री गणेश
- 10- श्री अन्ना पुत्र श्री घीसा
- 11- श्री मदनलाल पुत्र श्री भंवरलाल

समस्त जाति रेगर निवासियान ग्राम रामपुरा दूदा तहसील ब्यावर जरिए बहैसियत खुद एवं मुखियारआम श्री मदनलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति मेघवाल निवासी कुमावत कॉलोनी, फतेहपुरिया दायम तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 05-02-2019

न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 26.06.2014 को इस वादपत्र पर निर्णय पारित किया गया था जिस पर प्रतिवादी संख्या 4 से 11 ने न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर के यहां अपील संख्या 186/2017/223 (2017/00186) प्रस्तुत की जिसमें श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर के निर्णय दिनांक 31.08.2018 से प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.06.2014 को निरस्त किया जाकर निर्देशित किया गया कि प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर उपरोक्तनुसार वर्णित विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए उभयपक्ष को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य/सबूत पेश करने का अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

उक्तानुसार आदेशों की पालना में अपीलांट द्वारा पक्षकार प्रतिवादी बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर पक्षकार प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 बनाया गया।

इस वाद पत्र में वादी अतिरिक्त तहसीलदार टॉडगढ़ ने सारांशतः कथन किए कि ग्राम रामपुरा दूदा पटवार क्षेत्र धोलादांता II भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कावरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) की जमाबन्दी संवत् 2061-64 में अंकित खसरा नम्बर 161/2, 162, 163, 175, 185 कुल कित्ता 5 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा भूमियां श्री बख्ताराम, शिवजी पिता पन्ना, बस्तीराम, कैलाशचन्द, किशोर, मांगीलाल पिता गणेश, अन्ना पिता घीसा, मदनलाल पिता भंवरलाल जाति रेगर, निवासी रामपुरा-दूदा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर की खातेदारी में दर्ज है जिनकी जाति रेगर है जो कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। उक्त अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने जरिये विक्रय ईकरारनामा उक्त खसरा नम्बर 161/2, 162, 163, 175, 185 कुल कित्ता 5 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा की

.....लगातार



(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

भूमियों का बेचान श्री फतेहसिंह, आनन्दसिंह, महेन्द्रसिंह पिता मेसूसिंह जाति रावत निवासी रामपुरा दूदा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर को किया है जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। इस प्रकार खातेदार श्री बख्तराम, शिवजी पिता पन्ना, बस्तीराम, कैलाशचन्द, किशोर, मांगीलाल पिता गणेश, अन्ना पिता घीसा, मदनलाल पिता भंवरलाल, जाति रेगर, निवासी रामपुरा-दूदा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी का स्पष्ट उल्लंघन कर अपनी खातेदारी भूमि को रवेच्छा से गैर अनुसूचित जाति के सदस्य को विक्रय किया है।

प्रकरण नए नम्बर पर दर्ज किया गया। श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होने हेतु 25.09.2018 नियत की गई जिसके बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अनुपस्थित रहे जिन्हें न्यायालय हाजा द्वारा न्यायहित में सम्मन जारी करते हुए जरिए सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जवाब में कथन किए कि उक्त वादग्रस्त भूमियों को बएवज प्रतिफल उपरोक्त खातेदारान से क्रय किये जाने के पश्चात् भूमियों का कब्जा भी प्राप्त किया था एवं तभी से अर्थात् पिछले 35-40 सालों से अधिक समय से उत्तरकर्ता अप्रार्थी एवं उसके भ्रातागण ही उपरोक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। उत्तरकर्ता प्रतिवादी ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं तथा उक्त भूमि के पूर्व में खातेदारान भी ग्रामीण परिवेश के ही व्यक्ति रहे हैं जो कि कानूनी प्रक्रियाओं से प्रारंभ से अनभिज्ञ व अनजान रहे हैं तथा उन्हें इस बात की जानकारी कभी नहीं रही कि उक्त पूर्व खातेदारान अनुसूचित जाति के होने के कारण उक्त भूमि को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही विक्रय की जा सकती है। उत्तरकर्ता प्रतिवादी प्रतिफल अदा करते हुए सद्भाविक रूप से अपने व अपने परिवारजन के जीवन यापन भरण-पोषण एवं निवास हेतु तथा जानवरों को बांधने व रखने आदि के लिए ही क्रय की गई है जो पिछले 35-40 वर्षों से अनवरत कब्जे में चली आ रही है एवं अनवरत कब्जे के आधार पर कानूनन भी अप्रार्थी व उसके भ्रातागण को कब्जा मुखालफाना के सिद्धान्तानुसार भी खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है एवं इस हेतु उनके पक्ष में उक्त भूमि का नियमन किया जाना भी आवश्यक है जिसके लिए प्रतिवादीगण/अप्रार्थी नियमानुसार जो शुल्क बनता है वह जमा करवाने को तैयार है। यदि उन्हें उक्त भूमियों से बेदखल किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उत्तरकर्ता अप्रार्थीगण के पास अपनी आजीविका एवं निवास का कोई साधन ही नहीं रह जायेगा तथा भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। जिसे देखते हुए भी उक्त वाद को सव्यय निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। मौजूदा वाद विधिनुसार गठित व प्रस्तुत नहीं होने एवं कत्तई भी धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से सव्यय निरस्त योग्य है। मौजूदा प्रकरण गलत एवं झूठे तथ्यों पर अप्रार्थी को हैरान, तंग, परेशान करने एवं उत्तरकर्ता अप्रार्थी को खर्च से जेरआब करने एवं आर्थिक नुकसान पहुंचाने तथा उसकी सद्भाविक रूप से क्रयशुदा आराजी से बेदखल करने की नियत से प्रस्तुत किया है। अतः मौजूदा वाद इसी आधार पर निरस्त योग्य है।

प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 11 ने जरिए मुख्तयारआम जवाबदावा अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि वादग्रस्त आराजी उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं सह-काश्तकारी की भूमि है जिस पर उत्तरकर्ता आज दिवस तक भौतिक रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपनी उक्त वर्णित खातेदारी आराजी खसरा 161/2, 162, 163, 175, 185 कुल कित्ता 5 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा का बेचान जरिये इकरारनामा के फतेहसिंह, आनन्दसिंह, महेन्द्रसिंह पिता मेसूसिंह जाति रावत निवासी ग्राम रामपुरा दूदा तहसील ब्यावर

.....लगातार



(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
ब्यावर

जिला अजमेर को आज दिवस तक नहीं किया है तथा वर्णित इकरारनामा प्रतिवादी/उत्तरकर्ता की जानकारी में नहीं है एवं तथाकथित इकरारनामा प्रतिवादी/उत्तरकर्ता के खातेदारी हकों एवं अधिकारों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही अवैध एवं शून्य है जिसके आधार पर वादी का प्रस्तुत वाद कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। उत्तरदाता/प्रतिवादी द्वारा वर्णित आराजियात का बेचान का इकरार अथवा हस्तान्तरण आज दिवस तक नहीं किया गया है जिसमें उक्त फतेहसिंह, आनन्दसिंह, महेन्द्रसिंह पिता मेसूसिंह का कभी भी कोई वास्ता, हित अथवा सरोकार ना कभी था, ना आज दिवस को प्राप्त है जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में किया गया कथन कि "धारा 42-बी का उल्लंघन कर खातेदार का बेचान गैर अनुसूचित जाति के सदस्य को किया गया है" जो कर्तई गलत, असत्य निराधार होने से प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र में वादी द्वारा तथाकथित इकरारनामा जो कि अन-रजिस्टर्ड दस्तावेजात् को आधार बनाकर उक्त वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, इस प्रकार तथाकथित अन-रजिस्टर्ड इकरारनामा दस्तावेज कि जिसके आधार पर किसी को कोई हक अथवा अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर प्रस्तुत वाद कानूनन पोषणीय नहीं होने इस न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य है। विधि का सु-स्पष्ट प्रावधान एवं सिद्धान्त है कि 100/- रुपये से अधिक राशि के अचल सम्पत्ति के बेचान/हस्तान्तरण पर दस्तावेज का पंजीकृत होना कानूनन आवश्यक है, इस प्रकार प्रस्तुत वाद में तथाकथित इकरारनामा जो कि अन-रजिस्टर्ड दस्तावेज है, जिसे आधार बनाकर प्रस्तुत वाद कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय के समक्ष बरवक्त प्रस्तुत वाद संख्या (पुराना) 154/2011 में उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 11 को पूर्व में बिना पक्षकार संयोजित किये ही उक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश दिनांक 26.06.2014 के द्वारा उत्तरदाता/प्रतिवादी की वर्णित खातेदारी आराजी खसरा संख्या 161/2, 162, 163, 175, 185 कुल कित्ता 5 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा को बिलानाम (सिवायचक) दर्ज किये जाने के आदेश पारित कर राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तकरण संख्या 153 से 164 दिनांकित 13.02.2015 को स्वीकृत कर गलत एवं विधि-विरुद्ध रूप से जमाबन्दी में अमल कर दिया है, कि जिससे किये गये उक्त गलत एवं विधि विरुद्ध उक्त नामान्तकरण एवं इन्द्राज निरस्त फरमाया जाकर उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 को वर्णित आराजी का पूर्वानुसार वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार उद्घोषित जाने हेतु यह काउन्टर क्लेम इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर इस न्यायालय से निवेदन है कि वादी का प्रस्तुत वाद खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी/उत्तरकर्ता 4 लगायत 11 को आराजी खसरा नम्बर 161/2, 162, 163, 175, 185 कुल कित्ता 5 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा का वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदार उद्घोषित किये जाने के आदेश फरमावें, जो कि न्यायसंगत एवं विधि-सम्मत होगा।

जवाबदावा प्राप्त होने पर प्रकरण अनुतोष सहित कुल 5 तनकियात कायम की गई।

परोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर ने प्रस्तुत वादपत्र को ही स्वयं की साक्ष्य माना जाने का कथन किया एवं अन्य कोई साक्ष्य व दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये जाने के कथन किए।

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष कथन किए कि वे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

.....लगातार



(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

अनामिक घात 178 राजस्थान काश्तकार अधिनियम
प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 11 की ओर से उनके मुख्तयारआम श्री मदनलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति मेघवाल निवासी कुमावत कॉलोनी फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर ने साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उनके कथन कमोवेश उनके जवाबदावे अनुसार ही रहे तथा उक्त वर्णित आराजियात का पूर्वानुसार वर्तमान जमाबन्दी के खातेदार उद्घोषित किये जाने हेतु काउण्टर क्लेम को स्वीकृत किया जाने के कथन अंकित किए।

बहस उभयपक्षान अधिवक्तागण की सुनी गई। पैरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि उपरोक्त आराजियात ग्राम रामपुरा दूदा तहसील ब्यावर में स्थित है जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम पर है तथा स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को जरिये इकरार बेचान का विक्रय की गई लेकिन उसका नामान्तरकरण नहीं हुआ एवं इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.06.14 की पालना में सिवायचक दर्ज की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किए कि उनके जवाबदावे को ही उनकी बहस मानी जावे तथा वादी का वाद खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 4 से 11 ने वितर्क में कमोवेश प्रतिवाद पत्र में अंकित कथनों को ही दोहराया एवं कथन किए कि पूर्व में इस न्यायालय ने उन्हें सुने बिना ही एकतरफा निर्णय पारित कर दिया जो न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमियों को कभी भी बेचान नहीं किया है एवं ना ही ऐसा कोई बेचाननामा वादपत्र में प्रस्तुत किया गया है एवं तथाकथित बेचान का इकरारनामा की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त इकरारनामा उनकी जानकारी में नहीं है एवं ना ही उनके द्वारा कोई बेचान का इकरार किया गया है। तथाकथित बेचान के इकरारनामों के आधार पर भूमि को बेचान होना मान लिया जाना कत्तई न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 11 को वादग्रस्त आराजी में पूर्ववत खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उनका काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जावे तथा राजस्व अभिलेखों में उक्त बेचान के इकरार के आधार पर जो नामान्तरकरण सरकार के पक्ष में किये गये हैं, उन्हें निरस्त फरमाते हुए प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में जरिए नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 से 11 ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013 (2) आरआरटी पेज 1164 (डीबी), 2000 आरआरडी पेज 34 (डीबी), 2017 (1) डीएनजे (राज.) पेज 422, 2017 डीएनजे (एससी) पेज 145, 1995 (1) डीएनजे (एससी) पेज 395 तथा 2017 (2) डीएनजे (राज.) पेज 749 प्रस्तुत किये।

बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम रामपुरा दूदा पटवार क्षेत्र धोलादांताछछ गा भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काबरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) की जमाबन्दी संवत् 2061-64 में अंकित खाता संख्या 47 खसरा नम्बर 161/2 रकबा 00-10-00 की भूमि श्री पन्ना व गणेश पि. दल्ला 3 हि. नारायण वल्द मकना 1 हि. अन्ना भंवरु पि. घीसा 1 हि. मोती वल्द कूका व नारायण वल्द केशा 1 हि. कौम रेगर सा. देह खातेदार दर्ज है एवं इस जमाबन्दी में नामान्तरकरण नोट से जरिये विरासत वारिसान के नाम नामान्तरकरण अंकित किए हुए हैं जिसमें उक्त भूमियों का श्री पन्नालाल वल्द दल्ला व श्रीमती भंवरी बेवा गणेश कौम रेगर द्वारा अपने हक हिस्से में से 1/2 हिस्से का तथा खसरा संख्या 163 का बेचान जरिये कत्तई बेचान का इकरार पत्र दिनांक 12.06.1998 राशि रु.20000/- से श्री मेसूसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह जाति रावत को विक्रय किया जाना अंकित है एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 162 जो कत्तई बेचाननामा दिनांक 06-06-1985 राशि रु.40000/- से श्री अन्नाराम व भंवरु पिसरान घीसा तथा श्रीमती सुवा बेवा घीसा कौम रेगर द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा श्री मिठुसिंह वल्द मोतीसिंह
.....लगातार



(सुरेश चौधरी)
जिला सहायक अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

कौम रावत को बेचान किया जाना अंकित है जो अपंजीकृत है। इसी प्रकार खाता संख्या 45 खसरा नम्बर 175, 185 की भूमियां श्री पन्ना गणेश पि. दल्ला 3 हि. नारायण वल्द मकना 1 हि. अन्ना भंवरु पि. घीसा 1 हि. मोती वल्द कुन्ना ना.बा. बरसरबराही मां खुद कंकू 1 हि. नारायण वल्द केशा 1 हि. कौम रेगर सा देह खातेदार के नाम दर्ज है एवं इस जमाबन्दी में नामान्तरकण नोट से जरिये विरासत वारिसान के नाम नामान्तरकरण अंकित किए हुए हैं जिसमें से उक्त भूमियों का बेचान जरिये इकरार बेचान का दिनांक 10.12.1991 राशि रू.26000/- से श्री गणेश वल्द दल्ला कौम रेगर ने श्री मेसूसिंह वल्द मोतीसिंह जाति रावत को विक्रय किया जाना अंकित है जो पंजीकृत नहीं है एवं नोटेरी द्वारा भी तस्दीक नहीं है व केवल छाया प्रति प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का ने मौका पर्चा में कब्जा प्रतिवादी 1 से 3 का होना बताया है।

प्रकरण में कायम तनकियात निम्न प्रकार तय की जाती है :-

तनकी संख्या -1 आया ग्राम रामपुरा दूदा की वादग्रस्त आराजियात ख.सं. 161/2, 162, 163, 175, 185 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 04-19-00 को जरिए इकरार बेचान का कर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का स्पष्ट उल्लंघन कर स्वयं की खातेदारी भूमियों का स्वेच्छा से गैर अनुसूचित जाति के सदस्य को विक्रय किया है जिसके विरुद्ध दावा प्रस्तुत है ?वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर रहा है जिन्होंने अपने वादपत्र के साथ तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बेचान का इकरारनामा दिनांक 10.12.1991 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें श्री गणेश वल्द दल्ला जाति रेगर राशि रू. 26000/- में श्री मेसूसिंह वल्द मोतीसिंह जाति रावत साकिन रामपुरा दूदा को बेचान का इकरार किया जाना अंकित है तथा कत्तई बेचान का इकरार पत्र दिनांक 12.06.1998 से श्री पन्नालाल वल्द दल्ला व श्रीमती भंवर बेवा गणेश जाति रेगर द्वारा राशि रू.20000/-में श्री मेसूसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह जाति रावत को बेचान का इकरार किया जाना अंकित है। अपंजीकृत कत्तई बेचाननामा दिनांक 06.06.1985 से श्री अन्नाराम व भंवरु पिसरान घीसा व श्रीमती सुवा बेवा घीसा जाति रेगर द्वारा राशि रू. 40000/- में श्री अनोपसिंह वल्द पन्नासिंह व उदयसिंह वल्द बन्नासिंह व प्रेमसिंह वल्द मुकनसिंह व भेरसिंह वल्द पूरणसिंह जाति रावत साकिन रामपुरा दूदा को किया जाना अंकित है। उक्त कत्तई बेचान के इकरारनामों जो अपंजीकृत दस्तावेज है तथा नोटेरी से भी तस्दीक किया हुआ नहीं है। बेचान पहले किया जाना अंकित किया है एवं बेचान का इकरार बाद में किया जाना अंकित है जो अपने आप में ही विरोधाभास की स्थिति है। केवल उक्त अपंजीकृत बेचान के इकरारनामों की छाया प्रति के आधार पर वादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1982 (transfer of property act) के अनुसार भी 100/- रू. से अधिक की सम्पत्ति के बेचान/हस्तान्तरण पर दस्तावेज का पंजीकृत होना कानूनन आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित नहीं होता है तथा वादी उक्त तनकी सिद्ध करने से कासिर रहे हैं। अतः यह तनकी विरुद्ध वादी तय पाई जाती है।

तनकी संख्या-2 आया अप्रार्थी ने उक्त भूमियों का पूर्ण प्रतिफल अदा कर सदभाविक रूप से क्रय किया है एवं अप्रार्थी के पक्ष में नियमन किया जाना आवश्यक है एवं उक्त वाद निरस्त योग्य है?प्रतिवादी संख्या 1 से 3

.....लगातार



(सुरेश चौधरी)
उपसमन्त अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 पर रहा है जिनके द्वारा अपंजीकृत कर्त्तई बेचान के इकरारनामा दिनांक 10.12.1991, 12.06.1998 व अपंजीकृत बेचाननामा दिनांक 06.06.1985 की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है जिसका विस्तृत विवेचन तनकी संख्या 1 में किया जा चुका है। उक्त कर्त्तई बेचान का इकरारनामा जो अपंजीकृत दस्तावेज है तथा नोटेरी से भी तस्दीक किया हुआ नहीं है जो साक्ष्य में भी ग्राह्य नहीं माना जा सकता है। जिससे प्रतिवादीगण के पक्ष में नियमन का प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपने पक्ष में प्रमाणित करने में कासिर रहे हैं। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तय की जाती है।

तनकी संख्या-3 आया प्रतिवादीगण का आज दिवस तक संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित इकरारनामा अन-रजिस्टर्ड है जो कि प्रतिवादीगण की जानकारी में ही नहीं है एवं प्रतिवादी के खातेदारी हकों एवं अधिकारों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही अवैध एवं शून्य है जिसके आधार पर वादी का वाद कानूनन पोषणीय नहीं है?
.....प्रतिवादी संख्या 4 से 11

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 पर रहा है जिन्होंने अपने जवाबदावों में कथन किए हैं कि तथाकथित बेचान का इकरारनामा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है जो उक्त दस्तावेजात् के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1982 (transfer of property act) के अनुसार भी 100/- रु. से अधिक की सम्पत्ति के बेचान/हस्तान्तरण पर दस्तावेज का पंजीकृत होना कानूनन आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रस्तुत दस्तावेजात् प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 के खातेदारी अधिकारों एवं हकों के विपरीत होने से प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य है। उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या-4 आया वादग्रस्त आराजी को विलानाम (सिवायचक) दर्ज किये जाने के आदेश गलत एवं विधि विरुद्ध होने से उक्त आधार पर किये नामान्तरण एवं इन्द्राज निरस्त फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 से 11 को वादग्रस्त आराजी में खातेदार उद्घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदार अमल दरामद करवाने के अधिकारी है ?
.....प्रतिवादी संख्या 4 से 11

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 पर रहा है। चूंकि तनकी संख्या 1 लगायत 3 में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 ने अपने जवाबदावे एवं काउन्टर क्लेम को बखूबी साबित किया है एवं वादग्रस्त आराजी को विलानाम (सिवायचक) के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 11 स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने एवं स्वयं की खातेदारी में अमल दरामद करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं। यह तनकी प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 के पक्ष में तय की जाती है।

.....लगातार



(सुरेश चौधरी)
मुख्य अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

तनकी संख्या-5 अनुतोष ?

उक्त तनकियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध तय किये जाने से एवं उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर यह तय पाया जाता है कि - केवल भूमि के बेचान के इकरारनामों की छाया प्रतियां जो पंजीकृत भी नहीं हैं एवं ना ही किसी नोटेरी से तस्दीक किया गया है जिसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जा सकता है। केवल बेचान का इकरार किया जाना बेचान की श्रेणी में नहीं आता है एवं जिसके आधार पर किसी के खातेदारी अधिकार स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 11 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण की मौजूदा स्थिति का पूर्णतया समर्थन करते हैं। पक्षकारान प्रतिवादीगण के मध्य भूमि के कब्जे को लेकर यदि कोई विवाद की स्थिति है तो न्यायालय के समक्ष कब्जे बाबत विधिक कानूनी प्रावधानों के तहत अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत यह वादपत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 11 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रामपुरा दूदा पटवार क्षेत्र धोलादांता II भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काबरा की वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 161/2, 162, 163, 175, 185 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 04-19-00 पर जो रकबा पूर्व खातेदारान के नाम अंकित था एवं जिसे इस न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 26.04.2014 से बिलानाम (सिवायचक) दर्ज करने के आदेश दिए गए थे एवं उसके आधार पर जो नामान्तरकरण दर्ज किये गये हैं, के स्थान पर बिलानाम (सिवायचक) निरस्त करते हुए पूर्ववत् रहे खातेदारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इनके नाम जरिए नामान्तरकरण पूर्ववत् ही राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तदनुसार तहसीलदार ब्यावर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05-02-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(सुरेश चौधरी)

उपखण्ड अधिवक्ता एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम सुरेश चौधरी आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 105/2018 (पुराना 154/2011)

राजस्थान सरकार जरिए अतिरिक्त तहसीलदार टोंडगढ़ जिला अजमेर। वर्तमान क्षेत्राधिकार
तहसीलदार ब्यावर।

बनाम

- 1- श्री फतेहसिंह पुत्र श्री मेसूसिंह
- 2- श्री आनन्दसिंह पुत्र श्री मेसूसिंह
- 3- श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री मेसूसिंह
समस्त जाति रावत निवासी ग्राम रामपुरा दूदा तहसील ब्यावर जिला अजमेर
- 4- श्री बख्ताराम पुत्र श्री पन्ना
- 5- श्री शिवजी पुत्र श्री पन्ना
- 6- श्री बस्तीराम पुत्र श्री गणेश
- 7- श्री कैलाशचन्द पुत्र श्री गणेश
- 8- श्री किशोर पुत्र श्री गणेश
- 9- श्री मांगीलाल पुत्र श्री गणेश
- 10- श्री अन्ना पुत्र श्री घीसा
- 11- श्री मदनलाल पुत्र श्री भंवरलाल

समस्त जाति रेगर निवासियान ग्राम रामपुरा दूदा तहसील ब्यावर जरिए बहैसियत खुद एवं
मुख्त्यारआम श्री मदनलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति मेघवाल निवासी कुमावत कॉलोनी, फतेहपुरिया
दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.....मिनजामिन
मुददई रूबरू.....मिनजामिन मुददायलह पेश हुकम दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत
यह वादपत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 4
लगायत 11 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रामपुरा दूदा
पटवार क्षेत्र घोलादांता ग भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र काबरा की वादग्रस्त आराजियात खसरा
संख्या 161/2, 162, 163, 175, 185 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 04-19-00 पर जो रकबा
पूर्व खातेदारान के नाम अंकित था एवं जिसे इस न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 26.04.
2014 से विलानाम (सिवायचक) दर्ज करने के आदेश दिए गए थे एवं उसके आधार पर जो
नामान्तरकरण दर्ज किये गये हैं, के स्थान पर विलानाम (सिवायचक) निरस्त करते हुए
पूर्ववत् रहे खातेदारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इनके नाम जरिए
नामान्तरकरण पूर्ववत् ही राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते
हैं। तदनुसार तहसीलदार ब्यावर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान
अपना अपना वहन करें।

निजी.....मुबलिक.....बावत.....खर्चा इस मुकदमे का मय
सूद वगैरहफीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक.....की अदा
करें। बहस्व मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 05-02-19 को जारी किया
गया।



(सुरेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

.....लगातार

मुददई	रु.	पै.	मुददायला	रु.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत नामा महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		



(सुरेश चौधरी)
(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर ब्यापार
जयपुर